

फर्द अहकाम

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी, बीरमाल

बन्दी/प्रार्थी अपीलार्थ

बनाम

प्रतिवादी/अप्रार्थी रेश्यो

होती रामवल सुबानी फलवी
जुजानी

सरपंच गावणं
जुजानी करी

प्रकरण संख्या 01/20/20 नामा-1290 अपील


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3/11/2015	<p>अपीलार्थ के अधिवक्ता श्री राजनीतादि हे मारी इस अपील बनारसगी नामा सं 396 के 13/6/97 का समपवायत जुजानी के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी प्रपत्र के रिपोर्ट हे रेश्यो के जादिये समारत लक्ष हुये किन्तु तारीख 8/12/2015 को फेरही</p> <p style="text-align: right;">14 अपर अधिकारी बीरमाल</p>	<p>समपवायत सं 164 3-11-15</p>
8/12/15	<p>अपीलार्थ के अधिवक्ता उपर। रेश्यो न-1 व 3 के सम्मन तामिल हुकर प्राप्त हुए है लेकिन रेश्यो न-1 व 3 गैर हाजिर। रेश्यो न-1 व 3 को प्रपत्र-प्रपत्र रूप से रूक-रूक कर तीन-तीन आवाजे खिलाई गई अगर रेश्यो न-1 व 3 न तो स्वयं और न ही उनके लिख कोई व्यक्ति या अधिवक्ता उपस्थित हुआ फलस्वरूप इनके विरुद्ध उक्तपक्षि कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। रेश्यो न-4 के लिख अधिवक्ता श्री पृथ्वीलिंग चौहान द्वारा बकालतनामा व रकबलीतवाव प्रेश किया गया तो शामिल मिलल हो। कौपी अपीलार्थ के अधिवक्ता को खिलाई गई। डिगार रेश्यो के सम्मन अहम तामिल प्राप्त हुए है। अपीलार्थ के अधिवक्ता शैल रटे रेश्यो की तलवी हेतु सम्मन मय तलवान।</p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

मु
नम्बर
अहमक
हुक्म की
में

22/7/19 व कुलाय फरीको इपॉजित /
 रेसोर्ट डब प की अपसर दिव्य)
 रेसोर्ट डब 3 द्वारा अस्था व
 पेशा नही किया अतः रेसोर्ट डब
 3 का जवाब बन्द किया जाता
 है। पक्षकारान अधिकारता को सुना
 गया प्रमाणों का अवलोकन किया
 अपीलान्त की अपील अस्वीकार
 की जाती है विलुत निर्णय
 अलग से लिया जाया शामिल
 मिसल किया गया एवं सुनाया
 गया। मिसल फलतः सुमार दीव्य
 नम्बर से कम हो।


 सहायक कलेक्टर
 धीनमाल